न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00282

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स :–
1. केवलचन्द पुत्र पेमाराम		1. प्रकाश पुत्र पोलाराम
2. मादाराम पुत्र पेमाराम		2. दाकुदेवी पत्नी पोलाराम
3. पुकाराम पुत्र पेमाराम		3. लच्छीराम पुत्र पेमाराम जातिगण जाट निवासीगण कानावास तहसील सोजत जिला पाली
4. टीकमराम पुत्र पेमाराम जातिगण जाट निवासीगण कानावास तहसील सोजत जिला पाली		4. तहसीलदार सोजत, जिला पाली
5. नैनाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बेरा कटोणिया ग्राम कानावास तहसील सोजत		
6. गलुदेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी कानावास तहसील सोजत		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मीचन्द देवासी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.7.2024

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम कानावास के नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 28.07.2020 के विरूद्ध पेश की है। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वक्त बहस निवेदन किया कि मौजा कानावास पटवार हल्का मालपुरीया कलां तहसील सोजत मे खसरा नम्बर 333 रकबा 6.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 1.1300 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता पेमाराम की खातेदारी भूमि थी, जो जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 से स्पष्ट है। खसरा नम्बर 333 के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने पेमाराम ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध जैर आराजी में स्वंय को 1/7 वां

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 60/2019 बअनवान प्रकाश बनाम पेमाराम वगैरा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। राजस्व वाद संख्या 60/2019 में अपीलार्थीगण ने अपना जवाबदावा मय काउण्टर वाद पेश कर खसरा नम्बर 333 में खातेदारी एवं खसरा नम्बर 336 की 1.1985 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 0.6715 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की खातेदारी हक हकूक घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। इसी प्रकार खसरा संख्या 334 के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी के पिता ने भंवरलाल वगैरा के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद संख्या 187/2018 न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन है। रेस्पोडण्ट संख्या 1 ने विचाराधीन वाद के तथ्यों को छिपाते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 4 से मिलीभगत कर जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो विधिविरूद्ध है। विधि अनुसार किसी भूमि बाबत् अधिकार घोषण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो ऐसे मामलों में नामान्तरकरण की कार्यवाही keep abence में रखी जानी चाहिये क्योकि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसेडिंग की तारीफ में आती है इसलिये विधिविरूद्ध स्वीकृत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज फरमावे। योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपने कथनों के समर्थन में 602 RBJ(22) 2015, 232 RRD 1999, 2022(1) RRT 607 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि मुख्य वाद खसरा संख्या 333 का है। न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन वाद में पेमाराम ने अपने पुत्र के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है और न ही खातेदारी घोषणा चाही है। जैर नामान्तरकरण नियमों के परिपेक्ष में स्वीकृत किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है उससे सम्बन्धित वाद में स्थगन आदेश था परन्तु जैर अपीलाधीन में ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा के कोई तथ्य भी पेश नहीं किये है। जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलाण्ट्स के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। इसलिये जैर अपील को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सोजत ने पेमाराम की मृत्यु होने के पश्चात वारिसान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो विधिसमम्त है। जैर नामान्तरकरण नियमों के परिपेक्ष में स्वीकृत किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिये जैर अपील को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी के खातेदार पेमाराम का देहान्त हो जाने से उनके वारिसानों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिये जैर अपील को निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम कानावास के नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 28.07.2020 के विरूद्ध पेश की। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने यह स्वीकार किया कि जैर आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन है। साथ ही प्रकरण में पेशसुदा रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ग्राम कानावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 333 रकबा 6.5200 हैक्टेयर में 1/7 हिस्से का खातेदार घोषणा का राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन है, जिसके प्रकरण संख्या 60/2019 है, जिसमें अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर वाद प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अपीलाण्ट्स के पिता द्वारा प्रस्तुत ग्राम कानावास के खसरा नम्बर 334 रकबा 1.1300 हैक्टेयर की भूमि पर खातेदारी घोषणा का राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन है, जिसके प्रकरण संख्या 187/2018 है। जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य राजस्व वाद चल रहा है और उस दरम्यान यदि विवादित आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तो उससे सम्बन्धित पक्षकारों के हक अधिकार प्रभावित होते है, जिसके सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन हों तो दावों के निर्णय होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं हो। लिहाजा प्रथम दृष्टया जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य है।

इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1999 पेज 481 पर यह कहा गया है कि – "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 135 Mutation, when regular suit is pending in competent court - Summary proceedings should be stayed.- It is established principle of law that where regular suit is pending in competent court, the summary proceedings of mutation should be stayed because in regular suit the rights of the parties are decided after taking ecidence of both the parties. The Board of Revenue accepted the appeal." इसके अतिरिक्त आर. आर.डी. 1973 पेज 13, आर.आर.डी. पेज 370 एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 602 RBJ(22) 2015, 232 RRD 1999, 2022(1) RRT 607 पर हूबहू परिलक्षित होते है। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुये यह अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम कानावास के नामान्तरकरण संख्या 486 दिनांक 28.07.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आराजी से सम्बन्धित न्यायालय सहायक कलक्टर में विचाराधीन वाद के अन्तिम निस्तारण तक जैर नामान्तरकरण को Kept

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

Abeyance में रखा जावे तथा वाद में अन्तिम निर्णय पारित होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner